86/2016

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

A7

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील प्रकरण सं0 86/16

1. दौलतराम
2. शीशपाल पिसरान मुकनाराम
3. शान्तिदेवी पत्नी श्री दौलतराम
4. कालोदेवी पत्नी श्री शीशपाल
5. रेशमसिंह पुत्र श्री जागरसिंह
6. विद्यादेवी पत्नी श्री जागरसिंह
7. सीतो पत्नी श्री अमरचन्द अकवाम कापड़िया सकनाए 77 एन पी तह0 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलांटस

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री मेघचन्द जाति कापड़िया निवासी 77 एन पी तह0 रायसिंहनगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर दिनांक 9–12–16

उपस्थित : 1. श्री गुरविन्द्रसिंह सिधू, अधिवक्ता, अपीलांटस
2. श्री अवरिन्द्रसिंह अरोडा, अधिवक्ता, रेस्पो0 1
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 2 की ओर से।

आदेश दिनांक : 22-12-16

प्रस्तुत अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 17–7–14 के विरूद्व पेश की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं0 1 ने प्रार्थना पत्र रास्ता खुलवाने का पेश किया, जिसपर अपीलाधीन आदेश पारित कर भू अभिलेख निरीक्षक, समेजा को रास्ता खुलवाने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व एवं तथ्यों के विपरीत है। अपीलाधीन आदेश बिना विधिवत् सुनवाई किये एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश से जिस रास्ता को खुलवाने का आदेश पारित किया गया है, वह आज तक कभी चालू नहीं रहा है। अपीलार्थीगण की भूमि चक 77 एन पी के मु0 नं0 34,26,18 व 11 में फलल काश्त की हुई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 9–12–16 खारिज किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट, वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुन कर एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया जाकर अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति को दिनांक 9–1–17 तक स्थगित रखने जाने के आदेश दिये गये थे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

रेस्पो0 सं0 1 महेन्द्रसिंह की ओर से दिनांक 21–12–16 को शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश होने पर, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, प्रकरण को सुनवाई हेतु आज की तारीख पेशी में नियत किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कहा है कि अपीलाधीन आदेश से जो रास्ता खुलवाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह रास्ता कभी भी चालू नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिवत् सुनवाई किये एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 सं0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि उसकी जमीन मु0 नं0 26 में 12 बीघा नहरी रकबा है। मौके पर गेहूँ, सरसों व चना आदि का कुछ बिजान हुआ है व कुछ बिजान होना है। मु0 नं0 34,26,18 व 11 में से होकर रास्ता निकलता है, जो मंजूर शुदा है जो पिछले पचास सालों से चल रहा है। अपीलार्थीगण द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया है। स्थगन आदेश की आड़ में रास्ता बंद कर देने से वह अपने खेत में आ – जा नहीं सकता तथा बिजान नहीं कर सकता है। अतः स्थगन को निरस्त कर, प्रकरण का निरस्तारण किया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

रेस्पो0 सं0 1 द्वारा दिनांक 28–11–16 को कलक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि चक 77 एन पी के मु0 नं0 34,26,18 व 11 में स्वीकृत रास्ता खुलवाया जावे। प्रार्थना पत्र पर उप तहसीलदार, समेजा कोठी द्वारा दिनांक 9–12–16 को भू0 अभिलेख निरीक्षक समेजा कोठी को आदेश दिया गया कि प0 हल्का को साथ लेकर स्वीकृत रास्ता खुलवाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र पेश करे, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो। उक्त आदेश के खिलाफ हस्तगत अपील अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिवत् सुनवाई किये एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। मेरे विन्रम मत में दोनों पक्षों की विधिवत् सुनवाई हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, अपीलांटस की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 9–12–16 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों पक्षों की विधिवत् सुनवाई की जाकर, रास्ते के पूर्व में स्वीकृत होने व चालू हाने एवं रेस्पो0 सं0 1 महेन्द्रसिंह की कृषि भूमि को अन्य कोई रास्ता स्वीकृत है या नहीं, के संबंध में पूर्ण रूप से जॉच की जाकर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् आदेश पारित करें। दिनांक 19–12–16 को पारित एकपक्षीय स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित तहसीलदार को पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 22–12–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/12/16

(करतारसिंह पूनियॉ)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

श्रीगंगानगर (राजस्थान)